रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 289] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 1972/पौष 1, 1894

No. 289] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 1972/PAUSA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd December 1972

SUBJECT.—*Trade with Bangladesh during the period from 28th March, 1972 to 27th March, 1973.*

No. 190-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 180-ITC(PN)/72, dated the 8th December, 1972, regarding trade with Bangladesh outside the Limited Payments Arrangement.

2. It has been provided in paragraph 2 of the aforesaid Public Notice that exports of Textiles (Handloom) from India to Bangladesh outside the Limited Payments Arrangement will be allowed, subject to the normal policies and procedures, only through the Handicrafts and Handloom Export Corporation. On a review of the position, it has been decided that the exports of Textiles (Handloom) to Bangladesh outside the Limited Payments Arrangement will be allowed only through the Handloom Export Promotion Council, and not through the Handicrafts and Handloom Export Corporation.

3. The Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 180-ITC(PN)/72 dated the 8th December, 1972 may be deemed to have been amended accordingly.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1972

विषय.—28-3-1972 से 27-3-1973 के दौरान बांगलादेश के साथ व्यापार

संख्या 190-आई०टी०सी० (पीएन)/72.—बांगलादेश के साथ सीमित भुगतान व्यवस्था के बाहर व्यापार के संबंध में विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 180-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72, 8 दिसम्बर, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 2 में यह व्यवस्था दी गई है कि सामान्य नीति और प्रक्रियाओं के अधीन सीमित भुगतान व्यवस्था के बाहर भारत से बांगलादेश को सूती वस्त्रों (हाथ-करघा) के निर्यात की स्वीकृति केवल हस्तशिल्प तथा हाथकरघा निर्यात निगम के माध्यम से ही दी जाएगी। स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि सीमित भुगतान व्यवस्था के बाहर बांगलादेश को सूती वस्त्रों (हाथकरघा) के निर्यात की स्वीकृति केवल हाथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से ही दी जाएगी और न कि हस्तशिल्प तथा हाथकरघा निर्यात निगम के माध्यम से।

3. तद्नुसार, विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 180-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72, दिनांक 8 दिसम्बर, 1972 को संशोधित किया गया समझा जाए।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATION, NEW DELHI, 1972